विजयसिंह बनाम हुणताराम आदि
2019/25
निर्णय दिनांकः—10.11.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2019/23 दर्ज तिथिः— 28.06.2019

1. विजय सिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी हुणतपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

..................प्रार्थी

बनाम

1. हुणताराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. खमाराम पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. हरदेवा पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. बनवारी लाल पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. रामकरण पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

.... अप्रार्थीगण

7. पृथ्वी सिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी हुणतपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. पुष्पाकंवर पुत्री दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी हुणतपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. संतोष कंवर पुत्री दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी हुणतपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. सुप्यार कंवर उर्फ रेवंत कंवर पुत्री दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी हुणतपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. सरोज कंवर पुत्री दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी हुणतपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. सुनील शेखावत पुत्री किशन कंवर उर्फ जनक कंवर पुत्री दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी हुणतपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

.... गौण अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री शिवगौतम सोलंकी
अप्रार्थीगणः— श्री अभिषेक पूनियां
श्री संदीप वर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा—111, 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम—1956

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विजयसिंह बनाम हुणताराम आदि
2019/25
निर्णय दिनांकः–10.11.2025

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 10.11.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि खसरा संख्या 341/4.0342 हैक्ट. व खसरा संख्या 382/4.0975 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 8.1317 हैक्ट. रोही ग्राम ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू मे स्थित चली आ रही है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है।
2. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है, जो कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के ही कब्जा, काश्त, खातेदारी में निर्बाध रूप से चली आ रही है।
3. उक्त कृषि भूमि की सींव पर अप्रार्थी संख्या 01 ने उत्तर सींव व अप्रार्थी संख्या 05 ने पश्चिम सींव को काटकर, नई सींव कायम करना चाहते हैं, जिसका विरोध प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण ने किया तो कहा कि उक्त कृषि भूमि मेरी खातेदारी में है, मगर अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 इसे मानने से स्पष्ट इंकार हो गये, इसलिये उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है। जो कि सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जावे, जिससे प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सकें।
4. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की उत्तर एवं पश्चिम सींव को अप्रार्थीगण ने काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट, जर्जर हालात कर दी है और प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के लिये यह जरूरी हो गया है कि पुख्ता सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त कृषि भूमि की करवाई जावें। इसलिये यह विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।
5. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण एक सभ्य एवं भाले भाले कृषक है, मगर मौके पर प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट, जर्जर, क्षीण व अस्पष्ट हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिये प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के लिये सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है। इसलिए प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के लिये सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा संख्या 341/4.0342 हैक्ट. व खसरा संख्या 382/4.0975 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 8.1317 हैक्ट. रोही ग्राम ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिये यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।
6. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहते है जिससे आगे भविष्य में आस पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे।
7. सभी प्रक्रिया तहसीलदार चूरू के माध्यम से होनी है, जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को बतौर अप्रार्थीगण संख्या 06 बनाया गया है।
8. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान के लिये निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिये तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे, तो आवश्यक फीस करवा दी जावेगी।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे एवं खसरा संख्या 341/4.0342 हैक्ट. व खसरा संख्या 382/4.0975 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 8.1317 हैक्ट. रोही ग्राम ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू का सीमाज्ञान करवाकर सींव पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

9. प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व 5 की ओर से श्री अभिषेक पूनियां एडवोकेट एवं गौण अप्रार्थी सं. 7 ता 12 की ओर से श्री संदीप वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामे पेश किये जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं 4 पर विधिवत तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व 4 के अधिवक्ताओं को काफी अवसर दिये जाने के बाजवूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर जवाब बंद किया गया। इसलिए प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाना उचित समझते हुए प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

10. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

11. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

12. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in re[illegible] boundaries of fields may be made to and [illegible] where there exists no dispute as to such [illegible] but on account of the*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

13. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2070–2073 से स्थायी खसरा संख्या 341/4.0342 हैक्ट. व 382/4.0975 हैक्ट. वाके कस्बा ढाणी पन्नेसिंह पटवार हल्का श्योपुरा तहसील चूरू में प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहते है जिससे आगे भविष्य में आस पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान के लिये निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिये तैयार हैं। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके कस्बा चूरू के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी की आराजी होना साबित है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की उत्तर एवं पश्चिम सींव को अप्रार्थीगण ने काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट, जर्जर हालात कर दी है जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। खसरा संख्या 341/4.0342 हैक्ट. व 382/4.0975 हैक्ट. वाके कस्बा ढाणी पन्नेसिंह पटवार हल्का श्योपुरा तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 341/4.0342 हैक्ट. व 382/4.0975 हैक्ट. वाके कस्बा ढाणी पन्नेसिंह पटवार हल्का श्योपुरा तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू **को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।**

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 10.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested